रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2011/पौष 2, 1933
No. 682] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2011/PAUSA 2, 1933

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2011

**सा.का.नि. 896(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (iv) में ''निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों में अनुसूची और उपाबंध-I के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"अनुसूची

उपबंध-1

(नियम 12 (4) देखें)

(राहत राशि के लिए मापदण्ड)

| क्रम सं. | अपराध का नाम | राहत की न्यूनतम राशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [धारा 3(1) (i)] | प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60,000/- रुपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : I. 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए। II. 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए। |
| 2. | क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [धारा 3(1) (ii)] | |
| 3. | अनादरसूचक कार्य [धारा 3(1) (iii)] | |
| 4. | सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [धारा 3(1) (iv)] | अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/- रुपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जाएगी। जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए। |
| 5. | भूमि, परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1) (v)] | |
| 6. | बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [धारा 3(1) (vi)] | प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/- रुपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर। |
| 7. | मतदान के अधिकार के संबंध में [धारा 3(1) (vii)] | प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/- रुपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है। |
| 8. | मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [धारा 3(1) (viii)] | 60,000/- रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो। |
| 9. | मिथ्या या तुच्छ जानकारी | |

19

| | | |
|---|---|---|
| | [धारा 3(1) (ix)] | |
| 10. | अपमान, अभित्रास और अवमानना [धारा 3(1) (x)] | अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष सिद्ध होने पर । |
| 11. | किसी महिला की लज्जा भंग करना [धारा 3(1) (xi)] | अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/- रुपए, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए । |
| 12. | महिला का लैंगिक शोषण [धारा 3(1) (xii)] | |
| 13. | पानी गन्दा करना [धारा 3(1) (xiii)] | 2,50,000/- रुपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत । [illegible] स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए । |
| 14. | मार्ग के रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [धारा 3(1) [illegible]] | 2,50,000/- रुपए तक या मार्ग के [illegible]अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर । |
| 15. | [illegible] | [illegible] बहाल करना । ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो । पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए । |
| 16. | मिथ्या साक्ष्य देना [धारा 3(2) (i) और (ii)] | कम से कम 2,50,000/- रुपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर । |
| 17. | भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा 3(2)] | अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/- रुपए यदि अनुसूची में विशिष्ट । अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा । |
| 18. | किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [धारा 3(2) (vii)] | उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा । |
| 19. | निःशक्तता | |

(20)

| | | |
|---|---|---|
| | निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी । अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची के उपाबंध-2 पर संलग्न है ।<br>(क) 100 प्रतिशत असमर्थता | |
| | (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य | अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000 रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर । |
| | (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य | अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर । |
| | (ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है। | उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे । तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/- रुपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/- से कम नहीं होगा । |
| 20. | हत्या/मृत्यु<br>(क) परिवार का न | प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/- रुपए । 75 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| | कमाने वाला सदस्य<br><br>(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य | पोस्टमार्टम के पश्चात और और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर ।<br>प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/- रुपए । 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर । |
| 21. | हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थतता और डकैती का पीड़ित । | उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :-<br>(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा ।<br>(ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए ।<br>(iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहू, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था । |
| 22. | पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान । | जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो । वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए ।" |